अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः अनुं.जाति / जनजाति / प्रकोष्ठ / 2014 / 488 दिनांक 29/5/14

प्रति,

विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक,
समस्त अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओ को आवास सहायता राशि देने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग त्रालय भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमाक.शिक्षा / 98 / एफ / 12 / 6 / 2013 / 25–2 / 2039, भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2013 के द्वारा केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र / छात्राऐं जिनका ग्वालियर, नगर निगम सीमा में स्वयं का अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई आवास नहीं हैं तथा जो छात्रावास में न रहकर किराये के आ ास में रह रहे हैं, को आवास सहायता राशि देने के आदेश प्राप्त हुऐ हैं।

अतः आपके विभाग में अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र / छात्राऐं जो सत्र 2013–14 में अध्ययनरत है उनकी जानकारी संलग्न प्रपत्र में **(प्रत्येक छात्र की अलग–अलग)** भर कर दिनाक 10/6/2014 तक अनिवार्यतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, प्रशासनिक भवन, कमरा नं. 09 में जमा क ने का कष्ट करें, जिससे कि छात्र / छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके। छात्र के आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रप त्र संलग्न कर ही प्रेषित किये जायें।

1. जाति प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण–पत्र(यदि माता पिता शासकीय सेवा में हो तो पे स्लिप एवं ८ ार्म 16 की प्रति प्रस्तुत करें)
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र
4. विगत तीन वर्षो की अंक सूची
5. संस्था नियमित प्रवेश की रसीद
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार आधारित बैंक एकाउंट की प्रतिलिपि
8. जो मकान किराये से लिया है उस मकान मालिक द्वारा छात्र के रहने स ंधी शपथ–पत्र।
9. मकान मालिक द्वारा क्षेत्र के थाने पर किरायेदार की सूचना की प्रतिलिपि।
10. आधार कार्ड की प्रतिलिपि (पहचान पत्र)
11. संस्था प्रमुख को छात्र द्वारा जमा की गई टी.सी. की प्रतिलिपि।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रे ेत।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वलियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. वि.वि. वेबसाइट 28/5/14.

उप / कुलसचिव
अ. जाति / जनजाति प्रकोष्ठ

ाय कलेक्टर (आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जिला ग्वालियर

आवास सहायता योजना 2013 हेतु निःशुल्क आवेदन–पत्र

अनुसूचित जाति ☐

अनुसूचित जनजाति ☐

344

फोटो

छात्र का पूरा नाम ....

मोबाईल नंबर :– ....

पिता / पालक का नाम / पता / मो.फो.नं. :– ....

....

आवेदक का पालक से संबंध :– ....

आवेदक का स्थायी पता :– ....

....

आवेदक का स्थानीय पता (मकान मालिक :– ....

का नाम एवं मो.नं. भी अंकित करें) ....

जाति एवं उपजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– जाति........................वर्ग–अनु.जाति / अनु.जनजाति

1) पिता का व्यवसाय ....

2) पिता की वार्षिक आय ....

3) माता का व्यवसाय ....

4) माता की वार्षिक आय :– ....

5) अन्य स्त्रोत से आय :– ....

6) परिवार की कुल वार्षिक आय :– ....

(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

1) मकान किराये की जानकारी :— ....

2) मकान मालिक का नाम :— ....

3) मोबाईल नंबर ....

4) पता :— ....

....

5) किराये से लिये कमरे का क्षेत्रफल :— ....

6) साथ में कितने छात्र निवास करते हैं :— ....

7) मासिक किराया :— ....

8) विद्युत व्यय :— ....

15. 1) प्रधानाचार्य/संस्था का नाम :— ....

2) पता :— ....

3) फोन/मोबाईल नंबर :— ....

16. 1) अध्ययनरत कक्षा का नाम :— ....

2) छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश दिनांक :— ....

(शुल्क रसीद या अन्य साक्ष्य संलग्न करें) :— ....

17. 1) छात्र का आधार आधारित बैंक अकाउंट :— ....

की छायाप्रति (बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित) :— ....

2) बैंक का नाम :— ....

3) शाखा का नाम :— ....

4) खाता क्रमांक

5) आई.एफ.एस.कौड :— ....

18. आधार कार्ड का नंबर :— ....

—: पिता/पालक का घोषणा—पत्र :—

मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मेरे पुत्र को आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाता हैं तो मेरा पुत्र समस्त शासकीय नियमों के पालन करने हेतु वचनबद्ध हैं। मेरे परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय.............................हैं और मेरा ग्वालियर नगर निगम सीमा में स्वय का अथवा परिवार के किसी अन्य [illegible] लिया हैं। इस संस्था के अतिरिक्त इस वर्ष किसी अन्य संस्था में नियमित प्रवेश नही लिया हैं और नही किसी अन्य संस्था से आवास/सहायता योजना एवं छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया है। यदि असत्य जानकारी के [illegible] कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
पिता पालक के
नाम

संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..
छात्र को संस्था की कक्षा ....में दिनांक..............................को प्रवेश दिया गया हैं, छात्र द्वारा प्रवेश के [illegible] तथा छात्र द्वारा गत वर्ष कक्षा ....उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की गइ है। संस्था में वर्ष 2013–14 में प्रवेश की अंतिम तिथि.............................. हैं।

छात्र द्वारा प्रस्तुत जानकारी संस्था के रिकार्ड से सत्यापित की गई हैं।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
(संस्था प्रमुख)

संलग्न :— (निम्न अभिलेख स्वं से सत्यापित कर संलग्न करें)।

1. जाति प्रमाण–पत्र
2. आय प्रमाण–पत्र (यदि माता–पिता शासकीय सेवा में हो तो पे स्लीप एवं फार्म–16 की प्रति प्रस्तुत करें)।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र।
4. विगत तीन वर्षों की अंकसूची।
5. संस्था नियमित प्रवेश की रसीद।
6. पासपोर्ट साईज फोटो।
7. आधार आधारित बैंक एकाउंट की प्रतिलिपि।
8. जो मकान किराये से लिया है, [illegible]
9. मकान मालिक द्वारा क्षेत्र के थाने पर किरायेदार की सूचना की प्रतिलिपि।
10. आधारकार्ड की प्रतिलिपि (पहचान–पत्र)
11. संस्था प्रमुख, छात्र द्वारा जमा की गई टी.सी. (एस.एल.सी.) की प्रतिलिपि संलग्न करें।

नोट:–

क्र.1 शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र संबंधित महाविद्यालय में ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्र.2 अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास,इंदौर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्र.3. छात्र आधार आधारित अकाउंट नंबर की छायाप्रति को संबंधित बैंक मैनेजर से प्रमाणित करवाएंगे कि यह खाता आधार आधारित डी.बी.टी.योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हैं।

क्र.4 अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर विचार नही किया जायेगा।

क्र.5 अभिलेखों की कमी के कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।

—: शपथ–पत्र :—

(शपथ आयुक्त द्वारा पंजीकृत/प्रमाणीकरण)

मैं ....पिता का नाम ....जन्मतिथि..................

निवासी.. शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मैं :

1. संस्था ....की कक्षा ....में अध्ययनरत हूं।
2. मेरा / मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इंदौर नगरीय सीमा क्षेत्र में कोई घर नही है।
3. मैं संस्था का नियमित विद्यार्थी होकर जाति ....वर्ग से संबंधित हूं।
4. मेरे द्वारा इस वर्ष इस संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था में प्रवेश नही लिया गया है और किसी अन्य संस्था से छात्र आवास सहायता योजना 2013 का लाभ नहीं लिया हैं।
5. मैं इन्दौर में किसी भी शासकीय या शासन द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत नहीं हूं।
6. असत्य कथन या अभिलेख असत्य होने पर मुझ पर सभी वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

मैं आवास सहायता योजना के समस्त नियमों का पालन करने के लिये वचनबद्व हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.........

दिनांक.........